न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- सुश्री रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 39 सन 2017
पंजीयन दिनांक :- 23.2.2017

श्रीमती सोहनबाई पिता चम्पालाल धाकंड पत्नी बरदीचंद धाकड निवासी- चाहखेडी तहसील छोटीसादडी जिला -प्रतापगढ ।

-अपीलांट

विरूद्ध

1. राकेश पिता बद्रीलाल धाकड ।
2. जीवनलाल पिता बद्रीलाल धाकड ।
3. डालीबाई पत्नी बद्रीलाल धाकड ।
4. बाबूलाल पिता चम्पालाल धाकड ।
5. बंशीलाल पिता चम्पालाल धाकड सभी निवासी-चाहखेडी तहसील छोटीसादडी जिला-प्रतापगढ ।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 24/2013 आदेश दिनांक 29.9.2016

उपस्थित- 1. सावन श्रीमाली- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सोहनलाल जणवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1से 3

निर्णय **दिनांक 13.9.2023**

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा'251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुये ग्राम चाहखेडी तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 111 एवं 113 में आने जाने के लिये आराजी नम्बर 116 एवं 117 में नया मार्ग खोलने हेतु अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.9.2016 को आराजी नम्बर 116 एवं 117/421 में से रकबा 0.07 हैक्टैयर का डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि 121800/-रू जमा कराने पर राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी

अभिलेख में रास्ता दर्ज कराने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध अपील अपीलांट सोहनीबाई ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं थे जिसके लिये इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा-96 जा.दी का प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की ओर यह निवेदन किया गया कि अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि होने से विवादित भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है लेकिन अपीलांट को प्रार्थना-पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया जब कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार है जिसका वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार है बंटवाडा नही हुआ है फिर भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही प्रकरण निर्णित कर दिया जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा'-96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जिसके लिये धारा-:5 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद ग्रहण की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन करते हुये अपीलमिमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा ग्राम चाहखेडी की आराजी नम्बर 111 एवं 113 में आने जाने के लिये अपीलांट की आराजी नम्बर 116,117 में नया मार्ग खोलने का अनुतोष चाहा तथा तामील से पूर्व ही पत्रावली को जवाब में नियत करते हुये बिना किसी साक्ष्य के पक्षकार की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बगेर निर्णय पारित कर दियाजो अवैधानिक है अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील म्याद बाहर होने के कारण अस्वीकार की जावें ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न `जमाबन्दी से स्पष्ट जाहिर होता है कि सोहनबाई अपीलांट सहःखातेदार दर्ज रिकार्ड थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 3 ने पक्षकार नहीं बनाया जब कि प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होकर उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान

किया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2016 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना मैं न्यायोचित समझती हुं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी का निर्णय दिनांक 29.9.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलांट सोहनबाई को पक्षकार कायम कर जवाब आदि रिकार्ड पर लेते हुये गुणावगुण पर नव निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(रजनी माथीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ